

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

का0आ0सं0:-08/अ0प्र0-02-01/2024 199

/पटना, दिनांक:- 11.4.25

कार्यालय आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्राधीन लिपिकीय संवर्ग के श्री कृष्ण चन्द्र चक्रधारी, प्रधान लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पीरो प्रतिनियुक्ति मुख्य अभियंता-01, पटना का कार्यालय को मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना कोषांग एवं श्री प्रमोद कुमार, प्रधान लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल प्रतिनियुक्ति मुख्य अभियंता-05, मुजफ्फरपुर का कार्यालय को MMGSUY कोषांग में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. इस आदेश के निर्गत होने के साथ संबंधित कर्मियों के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश/प्रतिनियुक्ति आदेश स्वतः विलोपित समझे जायेंगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


(ई0 निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-02-01/2024 4104

/पटना दिनांक:- 11.4.25

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पीरो एवं पकड़ीदयाल/संबंधित कर्मी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-02-01/2024 4104

/पटना दिनांक:- 11.4.25

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-02-01/2024 4104

/पटना दिनांक:- 11.4.25

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख